

लिफाफा-'ए'

प्रारूप-13 ग
{ नियम 23(1)(ग) देखिए }

लिफाफा-ख

(राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में उपयोग में लाया जाएं)
हर ऑफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मताव भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदृश्ट कर दिया जाए, निर्वाचनों का संचालन

नियम 1961 का नियम 23(4)

प्रेषती :-
स्टिर्निंग ऑफिसर
**
.....
.....
.....
.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर

* स्टिर्निंग ऑफिसर यहा पर समुचित संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखें.

** स्टिर्निंग ऑफिसर यहां पर अपना डाक का पता लिखें.

*** ऐसे निर्वाचन की दशा में, जो भारत से किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिए

सरकारी बिना टिकट